निर्णय ब इजलास अपर्णा गुप्ता आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 45/2026 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

सत्यदेव शर्मा निवासी कुहाड़ा पोस्ट कल्याणपुरा कलां,

जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान 303105

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़।

.........प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय दिनांक 01.05.2026

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ उपलब्ध नहीं करवाने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलवाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2026/335 दिनांक 29.04.2026 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन संख्या 453004959478402 दिनांक 07.03.2026 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन के संबंध में आवेदक द्वारा 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना काल्पनिक एवं प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ड़) के तहत देय नहीं है। जिसकी सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर ही आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अंत में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील ड्रोप करने हेतु निवेदन किया।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना काल्पनिक एवं प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ड़) के तहत देय नहीं है, जिसकी सूचना प्रत्यर्थी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील सारहीन होना प्रतीत होती है। प्रत्यर्थी द्वारा पेश जवाब एवं दस्तावेज का अवलोकन करने पर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।
8. निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर)
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़